



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250834
CG-DL-E-22122023-250834

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945 (शक)
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd December, 2023/Pausha 1, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 20th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2023

No. 38 OF 2023

[20th December, 2023.]

An Act further to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

34 of 2019.

2. In the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, after section 14, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 14A and 14B.

“14A. (1) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

Reservation of seats for women in Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir.

(2) As nearly as may be, one-third of the seats reserved under sub-section (1) of section 14 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

(3) As nearly as may be, one-third of the total number of seats to be filled by direct election to the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) shall be reserved for women in such manner as Parliament may by law determine.

Reservation
of seats for
women to
take effect.

14B. (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Act, the provisions relating to reservation of seats for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.

(2) Subject to the provisions of section 14A, seats reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall continue till such date as Parliament may by law determine.

(3) Rotation of seats reserved for women in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall take effect after such subsequent exercise of delimitation as Parliament may by law determine.

(4) Nothing in section 14A shall affect any representation in the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir until the dissolution of the then existing Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.”

S.K.G. RAHATE,
Secretary to the Govt. of India.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 38)

[20 दिसम्बर, 2023]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 14क
और धारा 14ख का
अंतःस्थापन ।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

“14क. (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिसे संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

14ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्, की गई पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान ऐसी तारीख तक आरक्षित रहेंगे, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात्, उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 14क की कोई बात, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।”।